

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	आरती मनहरे
पिता/पति का नाम	:-	स्व.श्री अनिल कांत मनहरे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9001
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भुनेश्वर यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री रोहित कुमार यादव
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9002
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिग्विजय टण्डन
पिता/पति का नाम	:-	श्री एफ.आर. टण्डन
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9003
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिलेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री ज्ञानिक
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9004
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिलेश्वर भारती
पिता/पति का नाम	:-	श्री फगवा राम भारती
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9005
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिनेश्वरी ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्री लतेलराम ध्रुव
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9006
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हरीश कुमार बोकडे
पिता/पति का नाम	:-	स्व.श्री राजेश कुमार बोकडे
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9007
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	काजल कोसले
पिता/पति का नाम	:-	श्री गोपाल कोसले
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9008
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कलेन्द्री ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्री छबीलाल ध्रुव
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9009
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मंजूलता साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजकुमार साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9010
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मौसम कुमार अग्रवाल
पिता/पति का नाम	:-	श्री जैनेन्द्र कुमार अग्रवाल
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9011
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मायावती
पिता/पति का नाम	:-	श्री कामता
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9012
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ओम प्रकाश
पिता/पति का नाम	:-	श्री श्याम कुमार
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9013
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पार्वती ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्री चैनसिंग ध्रुव
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9014
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पवन कुमार मन्नाडे
पिता/पति का नाम	:-	स्व.श्री पुनीत राम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9015
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पुनेश्वर
पिता/पति का नाम	:-	श्री अगनू राम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9016
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राहुल कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री पुनीत राम
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9017
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रमेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री बलराम दाण्डे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9018
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रमेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री पेंघुराम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9019
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रीतू साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री जागेश्वर राम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9020
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	उषा बंजारे
पिता/पति का नाम	:-	श्री संतोष कुमार बंजारे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9021
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	वर्षा धोटे
पिता/पति का नाम	:-	श्री मधुकर ठाकरे
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9022
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अजय किशन
पिता/पति का नाम	:-	श्री बिसीकिशन
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9023
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अमन कुमार सोनवानी
पिता/पति का नाम	:-	श्री सुदन राम सोनवानी
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9024
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अंजना बंजारे
पिता/पति का नाम	:-	श्री कायतराम बंजारे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9025
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	आशा रात्रे
पिता/पति का नाम	:-	सन्नीदेवल बर्मन
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9026
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भारती कोसरिया
पिता/पति का नाम	:-	श्री गोपाल कोसरिया
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9027
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भीमेश्वरी ठाकुर
पिता/पति का नाम	:-	श्री सेतराम ठाकुर
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9028
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	चन्द्रकांत दीप
पिता/पति का नाम	:-	श्री पुरनचंद दीप
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9029
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिनू साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री उत्तम साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9030
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गोपाल निषाद
पिता/पति का नाम	:-	श्री नरसिंग निषाद
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9031
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	लता आहिरे
पिता/पति का नाम	:-	श्री शिवकुमार आहिरे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9032
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मनोहर
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजकुमार सोनवानी
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9033
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नरेन्द्र कुमार जॉन
पिता/पति का नाम	:-	श्री द्वारिका प्रसाद
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9034
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नरेन्द्र कुमार निर्मलकर
पिता/पति का नाम	:-	श्री रोशल लाल निर्मलकर
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9035
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पूजा मरावी
पिता/पति का नाम	:-	श्री रथराम
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9036
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पुष्पा साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री मनीराम साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9037
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राकेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री प्रकाश
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9038
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रामजी ठाकुर
पिता/पति का नाम	:-	श्री नारायण ठाकुर
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9039
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सन्नीदेवल बर्मन
पिता/पति का नाम	:-	श्री भारत लाल बर्मन
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9040
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	तारेन कुमार भारती
पिता/पति का नाम	:-	श्री पवन कुमार भारती
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9041
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	तरुण ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्री भगवान सिंग ध्रुव
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9042
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	टिकेश्वर साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री बागेश्वर साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9043
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	वेदीका
पिता/पति का नाम	:-	श्री लाला राम ठाकुर
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9044
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	वेद राम साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री घसिया साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9045
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	आदित्य कुमार देवदास
पिता/पति का नाम	:-	श्री दसरू राम देवदास
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9046
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अजय कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री रमेश कुमार
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9047
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अनिल कुमार कौशिक
पिता/पति का नाम	:-	श्री राधेश्याम कौशिक
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9048
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अर्चना सोनी
पिता/पति का नाम	:-	श्री मुरली प्रसाद सोनी
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9049
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भारती साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री पवन कुमार साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9050
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भावना राजेश बोकडे
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजेश बोकडे
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9051
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	डिगेन्द्र हिरवानी
पिता/पति का नाम	:-	श्री झुमुक लाल हिरवानी
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9052
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिग्विजय सिंह राजपूत
पिता/पति का नाम	:-	श्री पोषण सिंह राजपूत
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9053
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हेमन्त कुमार शर्मा
पिता/पति का नाम	:-	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9054
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हेमलता साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री मोहन लाल साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9055
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कंचन ठाकुर
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9056
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	किरण ठाकुर
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9057
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	लखनदास परमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री गणेशराम परमार
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9058
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ललित कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री अवध चन्दन साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9059
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	लोमश कुमार यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री अंतराम यादव
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9060
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	महेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री भूषण
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9061
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	महेन्द्र कुमार पटेल
पिता/पति का नाम	:-	श्री शिवशंकर पटेल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9062
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मो. असलम मंसूरी
पिता/पति का नाम	:-	मो. नसीरुद्दीन मंसूरी
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9063
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मुकेश कुमार यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री बुधारु यादव
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9064
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नरेश कुमार पाल
पिता/पति का नाम	:-	श्री सेवक राम पाल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9065
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नरेश कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री गजाधर साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9066
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	निखिल कुमार शर्मा
पिता/पति का नाम	:-	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9067
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	निलेश कुमार डउसेना
पिता/पति का नाम	:-	श्री गोवर्धन प्रसाद डउसेना
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9068
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ओमकार यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री शंकर लाल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9069
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पंकज कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री प्रभाकर राव
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9070
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	परमेश्वर
पिता/पति का नाम	:-	श्री टानिक राम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9071
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रवेश मिश्रा
पिता/पति का नाम	:-	श्री जितेन्द्र मिश्रा
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9072
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रघुनंदन चन्द्राकर
पिता/पति का नाम	:-	श्री बलराम चन्द्राकर
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9073
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रामकृष्ण
पिता/पति का नाम	:-	श्री गुरुशरण
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9074
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रामशरण
पिता/पति का नाम	:-	श्री कार्तिकराम
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9075
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रिक्की पाल
पिता/पति का नाम	:-	श्री मनोहर लाल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9076
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रितेश कुमार धीवर
पिता/पति का नाम	:-	श्री प्रमेश कुमार धीवर
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9077
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रूपेन्द्र दीवान
पिता/पति का नाम	:-	श्री ठगेश्वर सिंह दीवान
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9078
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	संगीता ठाकुर
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजेश सिंह ठाकुर
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9079
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	संजय साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री प्यारेलाल साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9080
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शुभम सिन्हा
पिता/पति का नाम	:-	श्री किशोर कुमार सिन्हा
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9081
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शुभम वर्मा
पिता/पति का नाम	:-	श्री योगेन्द्र वर्मा
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9082
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सुनील कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री मुक्तावन प्रसाद
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9083
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	तिलक राम यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री के.आर.यादव
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9084
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	तुलसीराम साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री नारदराम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9085
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	विमल कुमार साव
पिता/पति का नाम	:-	श्री निलाम्बर साव
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9086
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	विमल पाल
पिता/पति का नाम	:-	श्री विजय पाल
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9087
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	विमला साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्रीराम साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9088
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	विरेन्द्र कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री कुंवरदास साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9089
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	योमन सिंह नेताम
पिता/पति का नाम	:-	श्री मिलन सिंह नेताम
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9090
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हर्ष साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री पोखन लाल साहू
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9091
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	देवव्रत देवांगन
पिता/पति का नाम	:-	श्री केशव कुमार देवांगन
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9092
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अरूण
पिता/पति का नाम	:-	श्री मनबोध
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9093
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	उत्तम कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री कौशल प्रसाद उपाध्याय
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9094
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मयंक चंद्रा
पिता/पति का नाम	:-	श्री खगेन्द्र कुमार चन्द्रा
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9095
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ओमेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री लिकेश्वर प्रसाद
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9096
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	साधना साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री चिरौंजी लाल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9097
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	संतोषी यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री खोरबाहरा यादव
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9098
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	लक्ष्मी यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री खोरबाहरा यादव
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9099
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पारेश्वर दीवान
पिता/पति का नाम	:-	श्रीराम दीवान
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9100
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मोहन कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री मुन्ना लाल निर्मलकर
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9101
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हेमन्त कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री ओम्कार प्रसाद साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9102
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शिवानी वर्मा
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजेन्द्र वर्मा
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9103
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कौशल कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री श्याम लाल साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9104
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	विक्रम
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजेन्द्र
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9105
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नंद किशोर
पिता/पति का नाम	:-	श्री श्याम लाल साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9106
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नरेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री परसोत्तम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9107
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सोमेश ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्री पवन कुमार साहू
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9108
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गोपी कुमार कुरे
पिता/पति का नाम	:-	श्री भागीरती कुरे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9109
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ज्योति मदनकार
पिता/पति का नाम	:-	स्व.श्री सुनील राव मदनकार
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9110
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	युगल किशोर साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री राम कृष्ण साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9111
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	आरती निर्मलकर
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजेन्द्र निर्मलकर
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9112
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	घनश्याम कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री प्रेमलाल साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9113
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गजेन्द्र कुमार यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री सुबेलाल यादव
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9114
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	योगेश सिंह ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्री नारायण ध्रुव
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9115
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अजहर शहनवाज
पिता/पति का नाम	:-	श्री हजूरूल हसनैन
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9116
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सौरभ कुमार ढांड
पिता/पति का नाम	:-	श्री मिथलेश कुमार ढांड
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9117
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	योगिता शुक्ला
पिता/पति का नाम	:-	श्री अरविंद शुक्ला
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9118
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राहुल वर्मा
पिता/पति का नाम	:-	श्री रामजी वर्मा
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9119
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	चुनेश्वर सिन्हा
पिता/पति का नाम	:-	श्री कुंजलाल सिन्हा
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9120
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	वेणु कुमार सबर
पिता/पति का नाम	:-	श्री अभेराम सबर
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9121
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गोवर्धन
पिता/पति का नाम	:-	श्री सदानंद
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9122
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शेष कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री बुद्धुराम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9123
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दानेश्वर यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री शत्रुहन यादव
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9124
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रोहित कुमार नायक
पिता/पति का नाम	:-	श्री तुलसी राम नायक
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9125
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कुमेन्द्र साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री हुलेश्वर साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9126
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राहुल कुमार निषाद
पिता/पति का नाम	:-	श्री रामकुमार निषाद
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9127
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अजीम
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजेन्द्र
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9128
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दीपक पण्डा
पिता/पति का नाम	:-	श्री दीनदयाल पण्डा
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9129
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हितेन्द्र कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री गौरव प्रसाद साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9130
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	बुध्देश्वर
पिता/पति का नाम	:-	श्री रामचरण साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9131
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अरविन्द कुमार मेहर
पिता/पति का नाम	:-	श्री देवनारायण मेहर
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9132
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भुनेश्वरी
पिता/पति का नाम	:-	श्री बिहारीलाल धुव
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9133
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नवलेश कुमार वर्मा
पिता/पति का नाम	:-	श्री चन्द्रशेखर वर्मा
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9134
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सौरभ कुमार मस्के
पिता/पति का नाम	:-	श्री बी.आर.मस्के
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9135
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	योगेश्वर साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री लोचन राम साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9136
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भुवनेश्वरी
पिता/पति का नाम	:-	श्री शत्रुहन धुव
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9137
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रामेश्वर
पिता/पति का नाम	:-	श्री लच्छी राम साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9138
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भीखू राम
पिता/पति का नाम	:-	श्री पुना राम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9139
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राजेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री गीता प्रसाद
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9140
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भूपेश ठाकुर
पिता/पति का नाम	:-	श्री भेषलाल ठाकुर
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9141
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रेमलाल निषाद
पिता/पति का नाम	:-	श्री डेरहा राम निषाद
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9142
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	योगेश यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री लोकेश यादव
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9143
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रितिका चन्द्राकर
पिता/पति का नाम	:-	श्री दिनेश चन्द्राकर
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9144
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	उमेश कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री सहदेव राम साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9145
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ज्योति कौशिक
पिता/पति का नाम	:-	श्री तोरन लाल कौशिक
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9146
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अनुग्रह रोशना बडा
पिता/पति का नाम	:-	श्री मुक्ति कुमार बडा
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9147
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कामता प्रसाद कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री सुखराम कुमार
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9148
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हेमन्त कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री डोमार राम साहू
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9149
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	चित्रकांत जायसवाल
पिता/पति का नाम	:-	श्री विशम्भर नाथ जायसवाल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9150
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अश्विनी सोनी
पिता/पति का नाम	:-	श्री शुभम शुक्ला
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9151
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कृष्ण कुमार जगत
पिता/पति का नाम	:-	श्री राधेश्याम जगत
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9152
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दुष्यंत कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री भोज राम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9153
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	उमेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री गिरधारी लाल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9154
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सुरोती यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री लेकरू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9155
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ओम प्रकाश
पिता/पति का नाम	:-	श्री राधेलाल सिन्हा
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9156
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हरिचंद साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री रोशन लाल साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9157
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पंकज कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री दुकालू राम साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9158
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ओंकार
पिता/पति का नाम	:-	श्री मनीराम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9159
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रोशन साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री खुलाश राम साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9160
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रामकुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री तुलसी राम
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9161
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	देवा सिन्हा
पिता/पति का नाम	:-	श्री भीमसेन सिन्हा
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9162
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राहुल
पिता/पति का नाम	:-	श्री दूज राम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9163
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भारती देवांगन
पिता/पति का नाम	:-	श्री खगेश राम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9164
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सेवन्तिका चन्द्रा
पिता/पति का नाम	:-	श्री खगेन्द्र कुमार चन्द्रा
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9165
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सीमा नेताम
पिता/पति का नाम	:-	श्री चिन्ताराम
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9166
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रशांत यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री शंकर लाल यादव
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9167
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शीत कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री विश्राम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9168
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गंगेश्वरी
पिता/पति का नाम	:-	श्री लेखराम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9169
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	खेमलाल साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री बिहारी लाल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9170
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मेघा यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री प्रशांत यादव
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9171
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शुभम शर्मा
पिता/पति का नाम	:-	श्री डिलेश्वर शर्मा
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9172
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रान्शु दुबे
पिता/पति का नाम	:-	श्री संतोष दुबे
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9173
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	योगेश्वरी साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री चन्दन साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9174
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	चन्दन साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री मनोहर साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9175
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अजेन्द्र प्रसाद दुबे
पिता/पति का नाम	:-	श्री मोहन प्रसाद दुबे
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9176
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नीतेश कुमार ठाकुर
पिता/पति का नाम	:-	श्री विक्रम प्रताप ठाकुर
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9177
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भुपेन्द्र कुमार ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्री मानसिंह ध्रुव
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9178
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	उत्तरा सिन्हा
पिता/पति का नाम	:-	श्री नरेन्द्र सिन्हा
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9179
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पकेश्वर वर्मा
पिता/पति का नाम	:-	श्री फुलेन्द्र वर्मा
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9180
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रामायण श्रीवास
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजकुमार श्रीवास
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9181
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अरविन्द कुमार वर्मा
पिता/पति का नाम	:-	श्री चन्द्रभान वर्मा
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9182
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हेमन्त कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री छब्बू लाल
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9183
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भावेश कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री सेतेन्द्र कुमार साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9184
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शत्रुहन
पिता/पति का नाम	:-	श्री पंचराम
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9185
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कुणाल देवांगन
पिता/पति का नाम	:-	श्री कमल किशोर देवांगन
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9186
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मंजू राजन
पिता/पति का नाम	:-	श्री भूषण दास
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9187
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	चैतन्य कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री रामेश्वर साहू
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9188
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सतीश कुमार श्रीवास
पिता/पति का नाम	:-	श्रीराम श्रीवास
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9189
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिनेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री केजूराम
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9190
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	देवशरण सेन
पिता/पति का नाम	:-	श्री अवध राम सेन
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9191
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	भृत्य (संविदा)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नरेन्द्र कुमार मरकाम
पिता/पति का नाम	:-	श्री रमाकान्त मरकाम
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	9192
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	28/11/2023 (मंगलवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे जाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।